एस.एस. सोढ़ी, जे. के समक्ष

ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, - अपीलकर्ता.

बनाम

ठाकुर दास और अन्य,- प्रतिवादी।

1980 के आदेश क्रमांक 91 से प्रथम अपील।

14 दिसंबर 1982.

मोटर वाहन अधिनियम (1939 का IV) - धारा 103-ए - मोटर वाहन का स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित - दुर्घटना होने पर बीमा की पॉलिसी अभी भी मूल मालिक के नाम पर है - हालाँकि, क्रेता के पक्ष में बीमा प्रमाणपत्र के हस्तांतरण के लिए अनुरोध दुर्घटना की तारीख से पहले किया गया था और 15 दिनों के भीतर कोई उत्तर नहीं मिला - बीमाकर्ता - क्या धारा 103-ए के तहत उत्तरदायी है।

अधिनिर्नित किया, कि मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 103-ए का पूरा उद्देश्य उस बीमा कंपनी को एक अवसर प्रदान करना है जिसके साथ वाहन का बीमा किया गया है। यह बताने के लिए कि क्या मोटर वाहन के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप वाहन के खरीदार को बीमाकृत व्यक्ति के रूप में स्वीकार करने में कोई आपत्ति है। धारा की कठोरता यह है कि यदि बीमाकर्ता द्वारा वाहन के क्रेता के पक्ष में प्रमाणपत्र और पॉलिसी हस्तांतरित करने से इनकार करने की कोई सूचना नहीं है, तो उक्त प्रमाणपत्र और बीमा पॉलिसी को माना जाएगा। क्रेता को हस्तांतरित किया गया वास्तव में एक लाभकारी प्रावधान है जो बीमाकर्ता को देनदारी से बचने की कोशिश करने से रोकने के उद्देश्य से पेश किया गया प्रतीत होता है जब तक कि उन्होंने क्षतिपूर्ति के अनुबंध की नवीनता पर सहमत होने से सकारात्मक रूप से इनकार नहीं किया हो। अधिनियम की धारा 103-ए में निहित प्रावधान अपने स्वभाव से ही लाभकारी हैं और इस प्रकार एक उदार निर्माण की मांग करते हैं ताकि उनके अधिनियमन के लिए

(10) 1982 P.L.R. 486.

अंतर्निहित उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके। इस प्रकार, इस निष्कर्ष से बच नहीं सकते कि इसके प्रावधान मोटर वाहन के हस्तांतरण पर लागू होते हैं, चाहे बीमा पॉलिसी के हस्तांतरण के लिए अनुरोध संबंधित वाहन के हस्तांतरण से पहले किया गया हो या बाद में। इससे बीमा कंपनी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यह धारा बीमा प्रमाणपत्र के हस्तांतरण से इनकार करने के लिए 15 दिनों की अवधि प्रदान करती है। वाहन के स्वामित्व और बीमा की पॉलिसी के हस्तांतरण के संबंध में बीमा कंपनी को सूचना भेज दी गई है और उसके द्वारा मालिक को इसके हस्तांतरण से इनकार नहीं किया गया है, बीमा कंपनी शर्तों के अनुसार दी गई राशि के लिए उत्तरदायी होगी अधिनियम की धारा 103-ए के प्रावधान। (पैरा 10 और 11)

श्री राधा, कृष्ण बटास, अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ के न्यायालय के आदेश, दिनांक 1 नवंबर, 1979 से पहली अपील निम्नानुसार आदेश देती है: -

"मैं इन दोनों आवेदनों को उत्तरदाताओं संख्या 1, 2, 3 और 5 के खिलाफ लागत के साथ मंजूर करता हूं, गोपाल दास की मृत्यु के मामले में मुआवजे के रूप में 54,000 रुपये का अधिनिर्णय आवेदकों द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा। राज कुमार की मृत्यु के मामले में, मुआवजा राशि 24,000 रुपये दी जाती है, जिसे आवेदकों द्वारा समान रूप से साझा किया जाता है। जहां तक अनोख सिंह प्रतिवादी नंबर 4 का संबंध है, आवेदन खारिज किए जाते हैं, क्योंकि उनके दायित्व को साबित करने के लिए कुछ भी सामने नहीं लाया जा सका। उत्तरदाताओं को आवेदन की तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। यह राशि बीमा कंपनी प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा देय है।

अपीलार्थी की ओर से मुनीश्वर पुरी, अधिवक्ता, हेमन्त कुमार, अधिवक्ता।

प्रतिवादी नंबर 2 के लिए वकील आर.के.मित्तल।

प्रतिवादी संख्या 3 के लिए वकील एल.एम. सूरी।

पी. एस. अरोड़ा, वकील, प्रतिवादी संख्या 5 और 6 के लिए।

(10) 1982 P.L.R. 486.

एस.एस. सोढ़ी, जे.

यह आदेश ऊपर उल्लिखित अपील और 1980 के एफएओ नंबर 132 (ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती भगवंती देवी और अन्य) के साथ-साथ इन दोनों अपीलों में दायर क्रॉस-आपत्तियों का भी निपटान करेगा। ये अपीलें एक ही दुर्घटना से उत्पन्न हुईं और परिणामस्वरूप एक साथ सुनी गईं।

(2) इन अपीलों में निर्धारण के लिए जो मुख्य प्रश्न उठता है, वह दावेदारों को मुआवजे के रूप में दी गई राशि का भुगतान करने के लिए ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (बाद में 'बीमा कंपनी' के रूप में संदर्भित) की देनदारी के संबंध में है। मोटर वाहन अधिनियम, 1939 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 103-ए के प्रावधानों का अनुसरण। इस मामले से संबंधित तथ्य यह हैं कि 16/17 जनवरी, 1978 की मध्यरात्रि को, सेक्टर 22 और 35 को विभाजित करने वाली सड़क पर एक कार नंबर डीएचसी-785 और एक स्कूटर नंबर सीएचडी7915 के बीच एक दुर्घटना हुई थी। स्कूटर चला रहे गोपाल दास और उसकी पिछली सीट पर बैठे राज कुमार दोनों को चोटें आईं, जिसके परिणामस्वरूप बाद में अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई।

(3) इस दुर्घटना के कारण हुई वित्तीय हानि के लिए दोनों मृतकों के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा अधिनियम की धारा 110 के तहत मुआवजे के दावे किए गए थे। ट्रिब्यूनल ने पाया कि दुर्घटना कार चालक शिव राम (प्रतिवादी नंबर 5) की लापरवाही के कारण हुई थी। मृतक गोपाल दास से संबंधित मामले में दावेदारों को मुआवजे के रूप में 54,000 रुपये की राशि प्रदान की गई, जबकि राज कुमार के कानूनी प्रतिनिधियों को 24,000 रुपये की राशि दी गई।

(4) ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज की गई लापरवाही के निष्कर्ष के संबंध में यहां कोई विवाद नहीं उठाया गया है। इन अपीलों में विचार के लिए जो मामला उठता है वह मुआवजे के रूप में दी गई राशि के लिए बीमा कंपनी के दायित्व के संबंध में है। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि अधिनियम के 103-ए के प्रावधानों के आधार पर बीमा कंपनी को उत्तरदायी ठहराया गया है। अधिनियम की धारा 103-ए की प्रयोज्यता के संबंध में उठाए गए तर्कों पर रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से उभरी तथ्यात्मक स्थिति

(10) 1982 P.L.R. 486.

की पृष्ठभूमि में विचार किया जाना चाहिए। कार डीएचसी-785 को भारतीय जीवन बीमा निगम (इसके बाद 'निगम' के रूप में संदर्भित) द्वारा श्री के.एल. नागपाल (प्रतिवादी नंबर 3) द्वारा उपयोग के लिए खरीदा गया था, जो उनके साथ विकास अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। इस कार का निगम के नाम पर बीमा कंपनी से बीमा कराया गया था और इसका कब्ज़ा श्री के.एल. नागपाल के पास था। इसकी खरीद के नियम और शर्तें वही थीं जो अनुबंध प्रदर्शन आर-एल में निहित थीं। उसमें यह प्रावधान किया गया था कि श्री नागपाल इस कार की कीमत किश्तों में चुकाएंगे और पूरी बिक्री राशि का भुगतान होने पर, कार श्री के.एल. नागपाल को हस्तांतरित कर दी जाएगी। इस संबंध में प्रासंगिक शर्तें इस समझौते के खंड 7 में निहित थीं जिन्हें यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"जब उक्त कार खाते में जमा शेष राशि उक्त वाहन की खरीद के बराबर हो जाएगी, तो यह किराया समाप्त हो जाएगा और उक्त वाहन बन जाएगा एजेंट की संपत्ति और निगम उक्त वाहन को एजेंट को हस्तांतरित कर देगा।"

साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि इस कार के संबंध में निगम को देय पूरी राशि का भुगतान श्री नागपाल द्वारा दिसंबर, 1977 तक कर दिया गया था। इसके बाद निगम ने 16 दिसंबर, 1977 को मोटर लाइसेंसिंग अधिकारी और पंजीकरण प्राधिकरण, नई दिल्ली को एक पंजीकृत पत्र प्रदर्शनी आर-3 भेजकर सूचित किया कि उन्होंने कार डीएचसी-785 श्री के.एल. नागपाल को बेच दी है और यह अनुरोध किया गया कि तदनुसार उसका स्वामित्व उसे हस्तांतरित कर दिया जाए। इस पत्र की एक प्रति श्री के.एल. नागपाल को भेजी गई थी, जिनसे वाहन को अपने नाम पर स्थानांतरित कराने के लिए पंजीकरण प्राधिकरण से संपर्क करने के लिए कहा गया था। साथ ही इस पत्र की एक और प्रति बीमा कंपनी को भेजकर वाहन का बीमा श्री के.एल. नागपाल के नाम पर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया।

(5) यह साक्ष्य में है कि कार डीएचसी-785 से संबंधित बीमा की पॉलिसी दुर्घटना की तारीख पर निगम के नाम पर थी और उस तारीख को उसका पंजीकृत मालिक भी निगम था। नवंबर, 1978 में ही कार श्री एक्स.एल. नागपाल के नाम पर पंजीकृत हुई।

(6) बीमा कंपनी के वकील श्री मुनीश्वर पुरी का तर्क था कि चूंकि कार दुर्घटना से पहले बिना बीमा पॉलिसी के श्री के.एल. नागपाल को हस्तांतरित कर दी गई थी, उसे हस्तांतरित होने के कारण, इस दुर्घटना के लिए बीमा कंपनी पर कोई दायित्व नहीं

(10) 1982 P.L.R. 486.

डाला जा सका। वकील ने ओरिएंटल फायर एंड जेनएल पर भरोसा करने की मांग की। इन्स. कंपनी लिमिटेड बनाम विमल रॉय,[1] जहां यह अभिनिर्णीत किया गया कि इसके विपरीत किसी शर्त के अभाव में, एक बीमा पॉलिसी जो क्षतिपूर्ति के लिए एक व्यक्तिगत अनुबंध है, मोटर वाहन और लाभ के हस्तांतरण पर समाप्त हो जाती है बीमा कंपनी के साथ स्पष्ट समझौते के बिना पॉलिसी हस्तांतरितकर्ता को उपलब्ध नहीं है। श्री मुनीश्वर पुरी द्वारा इस संबंध में उद्धृत अन्य अधिकारियों में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया था। ये प्राधिकारी हैं, एम. भूपति और अन्य बनाम एम. एस. विजयालक्ष्मी और अन्य, [2], रोशन लाई भल्ला और अन्य बनाम सुदेश कुमार और अन्य।[3] क्वींसलैंड इंस. कंपनी लिमिटेड बनाम राजलक्ष्मी अम्मल और अन्य।[4] द साउथ इंडिया इं.स. कंपनी लिमिटेड बनाम लक्ष्मी एवं अन्य।[5] और सुनील कुमार बनाम रोशन लाई एवं अन्य।[6]

(7) ऊपर उद्धृत अधिकारियों से निपटने में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वे सभी अधिनियम की धारा 103-ए के लागू होने से पहले की अवधि से संबंधित हैं और इसलिए, वर्तमान अपील में उठाए गए विवाद से कोई प्रासंगिकता नहीं है।

(8) अधिनियम के 103-ए के प्रावधानों की ओर मुड़ते हुए, श्री मुनीश्वर पुरी ने तर्क दिया कि वे वर्तमान मामले में लागू नहीं थे क्योंकि इसकी आवश्यकता थी

संबंधित मोटर वाहन से संबंधित बीमा के प्रमाण पत्र के हस्तांतरण के लिए अनुरोध निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए और बीमा की पॉलिसी के साथ भी होना चाहिए। ये प्रावधान अनिवार्य थे और वर्तमान मामले में निगम द्वारा इनका अनुपालन नहीं किया गया था, जो हस्तांतरणकर्ता था और इस प्रकार बीमा कंपनी को उत्तरदायी बनाने के लिए अधिनियम की धारा 103-ए को लागू नहीं किया जा सकता था। उनके तर्क का दूसरा पहलू यह था कि इस धारा के प्रावधान संबंधित मोटर वाहन के वास्तविक हस्तांतरण से पहले ही उपलब्ध थे क्योंकि इस धारा में प्रयुक्त शब्द थे "मोटर वाहन को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है"। वकील ने तर्क दिया कि यदि वाहन पहले ही स्थानांतरित हो चुका है तो बीमा प्रमाणपत्र के हस्तांतरण के लिए

[1] 1972 A.C.J. 314.
[2] 1966 A.C.J, 1
[3] 1968 A.C.J. 63.
[4] 1970 A.C.J. 104
[5] 1971 A.C.J. 122
[6] 1973 A.C.J. 41

(10) 1982 P.L.R. 486.

अनुरोध किया जाता है तो इस धारा के प्रावधान अनुपयुक्त हो जाते हैं। उन्होंने इस संबंध में इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि वर्तमान मामले में श्री के.एल. नागपाल और बीमा कंपनी को कार डीएचसी-785 के हस्तांतरण के संबंध में सूचना एक ही दिन एक ही पत्र द्वारा दी गई थी और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि बीमा कंपनी से अनुरोध श्री के.एल. नागपाल को वाहन हस्तांतरित करने से पहले किया गया था और इस कारण से भी, इसलिए, अधिनियम की धारा 103-ए बीमा कंपनी को दी गई राशि के लिए उत्तरदायी ठहराने के लिए श्री के.एल. नागपाल या निगम के पास उपलब्ध नहीं थी।

(9) बीमा कंपनी के वकील द्वारा उठाए गए तर्क स्पष्ट रूप से योग्यता से रहित हैं। कुछ इसी तरह का प्रश्न सेवा सिंह बनाम कर्नल गुरचरण सिंह और अन्य में विचार के लिए उठा था।[7] अधिनियम की धारा 103-ए के प्रावधानों से निपटने में, बैंस, जे द्वारा यह प्रेक्षित किया गया

: -

"इस धारा को स्पष्ट रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट है कि जहां एक व्यक्ति जिसके पक्ष में अधिनियम के अध्याय VIII के प्रावधानों के अनुसार बीमा प्रमाणपत्र जारी किया गया है, वह मोटर वाहन का स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव करता है ऐसा बीमा उसकी बीमा पॉलिसी के साथ लिया गया था, तो वह बीमा प्रमाणपत्र और प्रमाणपत्र में वर्णित पॉलिसी को उस व्यक्ति के पक्ष में स्थानांतरित करने के लिए बीमाकर्ता को आवेदन कर सकता है जिसे मोटर वाहन प्रस्तावित है। हस्तांतरित किया जाएगा और, यदि बीमाकर्ता द्वारा ऐसे आवेदन की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है या बीमाधारक को प्रमाणपत्र और पॉलिसी को दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करने से इनकार करने के बारे में बीमाकर्ता से कोई सूचना नहीं मिलती है, तो प्रमाणपत्र बीमा और प्रमाणपत्र में वर्णित पॉलिसी उस व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरित मानी जाएगी जिसे मोटर वाहन हस्तांतरित किया गया है। इस मामले में, दुर्घटना 23 अगस्त, 1970 को हुई थी। दुर्घटना में शामिल ट्रक को पिछले मालिक ने 31 मार्च, 1970 को वर्तमान मालिक को बेच दिया था और इसे 3 अप्रैल, 1970 को वर्तमान मालिक के नाम पर पंजीकृत किया गया। स्वामित्व के हस्तांतरण की सूचना बीमा कंपनी को ट्रक के हस्तांतरण की तारीख, यानी 31 मार्च, 1970 को भेजी गई थी। अभिनिर्णीत किया कि इन परिस्थितियों में यह बीमा कंपनी

[7] 1978 P.L.R. 705.

(10) 1982 P.L.R. 486.

थी जो दावेदारों को दिए गए मुआवजे के लिए उत्तरदायी थी, न कि ट्रक का मालिक।

(10) ऊपर उल्लिखित प्राधिकरण में एकल पीठ के फैसले को डिवीजन बेंच ने (द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली बनाम कर्नल गुरचरण सिंह और अन्य)[8] में बरकरार रखा था। यहां मुद्दा यह उठाया गया कि ट्रक के स्वामित्व के हस्तांतरण के संबंध में बीमा कंपनी को भेजी गई सूचना निर्धारित प्रपत्र में नहीं भेजी गई थी और न ही अधिनियम की धारा 103-ए के संदर्भ में बीमा प्रमाणपत्र के हस्तांतरण के लिए कहा गया था। इन दोनों दलीलों को विशेष रूप से अस्वीकार कर दिया गया था। अधिनियम की धारा 103-ए के प्रावधानों से निपटने में यह देखा गया कि "जैसा कि मैं देखता हूं, अधिनियम की धारा 103-ए का पूरा उद्देश्य उस बीमा कंपनी को एक अवसर प्रदान करना है जिसके साथ वाहन का बीमा किया गया है यह बताने के लिए कि क्या मोटर वाहन के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप वाहन के खरीदार को बीमाकृत व्यक्ति के रूप में स्वीकार करने में कोई आपत्ति है। धारा की कठोरता यह है कि यदि बीमाकर्ता द्वारा वाहन के क्रेता के पक्ष में प्रमाणपत्र और पॉलिसी को हस्तांतरित करने से इनकार करने की कोई सूचना नहीं है, तो उक्त प्रमाणपत्र और बीमा पॉलिसी क्रेता को हस्तांतरित मानी जाएगी। वास्तव में एक लाभकारी प्रावधान जो बीमाकर्ता को दायित्व से बचने की कोशिश करने से रोकने के उद्देश्य से पेश किया गया प्रतीत होता है, जब तक कि उन्होंने क्षतिपूर्ति के अनुबंध के नवीनीकरण पर सहमत होने से सकारात्मक रूप से इनकार नहीं किया है।

(11) उपरोक्त टिप्पणियाँ वर्तमान मामले में उठाए गए अन्य विवाद से निपटने के लिए भी प्रासंगिक हैं, कि अधिनियम की धारा 103-ए उपलब्ध नहीं है यदि संबंधित वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के बाद बीमा प्रमाणपत्र का हस्तांतरण मांगा जाता है। अधिनियम की धारा 103-ए में निहित प्रावधान अपने स्वभाव से ही लाभकारी हैं और इस प्रकार एक उदार निर्माण की मांग करते हैं ताकि उनके अधिनियमन के लिए अंतर्निहित उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके। इस प्रकार, इस निष्कर्ष से बच नहीं सकते कि इसके प्रावधान मोटर वाहन के हस्तांतरण पर लागू होते हैं, चाहे बीमा पॉलिसी के हस्तांतरण के लिए अनुरोध संबंधित वाहन के हस्तांतरण से पहले किया गया हो या बाद में। इससे बीमा कंपनी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता क्योंकि धारा उसे बीमा प्रमाणपत्र के हस्तांतरण से इनकार करने के लिए पंद्रह दिनों की अवधि प्रदान करती है। वाहन और बीमा पॉलिसी के स्वामित्व के हस्तांतरण के संबंध में बीमा कंपनी को सूचना भेज दी गई है और इसके हस्तांतरण से इनकार

[8] L.P.A. 323/1978 decided on 29-7-1982

(10) 1982 P.L.R. 486.

करने की कोई सूचना निगम को नहीं भेजी गई है। ट्रिब्यूनल ने अधिनियम की धारा 103-ए के प्रावधानों के अनुसार बीमा कंपनी को दी गई राशि के लिए उत्तरदायी ठहराया।

(12) अगला प्रश्न जो विचार के लिए उठता है, वह दावेदारों द्वारा उनकी प्रति-आपत्तियों के माध्यम से मांगे गए मुआवजे में वृद्धि के संबंध में है। मृतक राज कुमार से संबंधित मामले में, दावेदारों के वकील द्वारा दबाया गया एकमात्र दावा ट्रिब्यूनल द्वारा दी गई राशि पर देय ब्याज के संबंध में था। उनका तर्क था कि जबकि दिया जाने वाला ब्याज 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से था, अब यह कानून बन गया है कि दिया जाने वाला ब्याज 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से होना चाहिए। यह विवाद स्पष्ट रूप से मान्य होना चाहिए और इस प्रकार वादकारियों को दी गई राशि पर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया जाता है, जो कि आवेदन की तारीख से दी गई राशि के भुगतान की तारीख तक 24,000 रुपये है। .

(13) मृतक गोपाल दास के कानूनी प्रतिनिधियों को देय मुआवजे से संबंधित मामले की ओर मुड़ते हुए, ट्रिब्यूनल का निष्कर्ष था कि मृत्यु के समय गोपाल दास की आयु 35 वर्ष थी। उनकी मासिक आय 550 रुपये रखी गई। उनकी मृत्यु के कारण उनके आश्रितों को होने वाली वित्तीय हानि के रूप में 375 रुपये प्रति माह लिया गया। ट्रिब्यूनल ने इस मामले में 12 को गुणक माना और इस आधार पर दावेदारों को मुआवजे के रूप में 54,000 रुपये का हकदार माना। दावेदारों के वकील श्री आर.के.मित्तल ने सही तर्क दिया लछमन सिंह बनाम गुरमीत कौर[9] में पूर्ण पीठ और आशा रानी एवं अन्य बनाम भारत संघ[10] में डिवीजन बेंच द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान मामले में उचित गुणक 16 नहीं लिया जाना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने इस आधार पर मुआवजे का दावा किया। इस दावे को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए और तदनुसार दावेदारों को रुपये की राशि से सम्मानित किया जाता है। मृतक की मृत्यु के कारण उन्हें हुए नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में 72,000 रुपये दिए जाएंगे। दावेदार आवेदन की तारीख से दी गई राशि के भुगतान की तारीख तक प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से ब्याज के भी हकदार होंगे। अधिनिर्णय की राशि में से 25,000 रुपये की राशि मृतक की विधवा को देय होगी; जबकि शेष राशि उसके पांच बच्चों को बराबर शेयरों में देय होगी। नाबालिगों के शेयरों का भुगतान

[9] 1979 P.L.R. 1
[10] 1982 P.L.R. 486

(10) 1982 P.L.R. 486.

उनकी मां के माध्यम से किया जाएगा। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दी गई राशि बीमा कंपनी और उत्तरदाताओं संख्या 3 और 5 द्वारा भी देय होगी।

(14) ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में भारतीय जीवन बीमा निगम को भी दी गई राशि के लिए उत्तरदायी ठहराया था। ऊपर बताए गए तथ्यों के मद्देनजर स्पष्ट रूप से निगम पर कोई दायित्व थोपने का कोई वारंट नहीं था, विशेष रूप से कि दुर्घटना के समय निगम वाहन का मालिक नहीं रह गया था। इस प्रकार इसके विरुद्ध अधिनिर्णय को रद्द किया जाना चाहिए।

(15) परिणामस्वरूप, बीमा कंपनी द्वारा दायर की गई दोनों अपीलें खारिज कर दी जाती हैं और दावेदारों द्वारा दायर की गई क्रॉस-आपत्तियां ऊपर बताई गई सीमा तक स्वीकार की जाती हैं। जहां तक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दायर की गई प्रति-आपत्तियों का संबंध है, उन्हें इस निष्कर्ष के साथ स्वीकार किया जाता है कि निगम प्रदान की गई किसी भी राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है। दावेदार लागत के हकदार होंगे। परामर्श शुल्क 500 रु.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णयर्ण वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा मेंइसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णयर्ण का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:
Deepak yadav
Trainee Judicial Officer
Chandigarh Judicial Academy
Chandigarh

(10) 1982 P.L.R. 486.

(10) 1982 P.L.R. 486.